प्रपत्र- 3,

प्रपत्र–4

तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 274 द्वारा श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी प्रश्नांश 'घ' के संबंध में जानकारी।

स.क्र.	तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष अशोकनगर के पत्र क. 497 दि.21.09.23 पर जिला कलेक्टर अशोकनगर द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण। कलेक्टर जिला अशोकनगर के आदेश दि. 05.10.23 पर की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3
1	कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा सी.एम.ओ.को आवंटित बंगले की जॉच करने हेतु तीन सदस्यी जांच दल का गठन किया गया, जिसमें निम्नानुसार तीन सदस्य सम्मिलित थें– 1. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर। 2. कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि संभाग अशोकनगर। 3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग अशोकनगर। उक्त तीन सदस्यीय दल द्वारा दि. 16.01.24 को सी.एम.ओ को आवंटित बंगले की जांच की गई। उक्त जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि उक्त भवन लगभग 60 वर्ष से अधिक पुरान है, जिसकी दीवाले चुना, रेत के प्लास्टर से एवं छत की पत्थर की है जिस पर लाइम कोवा की छत डली है जो कि कई जगह से सीपेज हो रही है। जांच समिति द्वारा यह भी पाया गया कि बेडरूम के कुछ जगह स्वीच बोर्ड लगे हुये एवं कई जगह बिजली के तार निकले है, उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि खिडकियां यथास्थिति में है एवं भवन अत्यंत पुराने होने के कारण रहने योग्य नही है। विस्तृत जांच प्रतिवेदन परिशिष्ट–1 अनुसार सलंग्न है।	चूंकि भवन अत्यंत पुराना होने के कारण जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। अतः कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल द्वारा यह स्पष्ट होता है कि उक्त भवन को किसी के द्वारा नुकसान नही पहुंचायो गया है अपितु प्राकतीक रूप से भूमि में सेटलमेंट होने से यह जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गया है। इस प्रकार तत्कालीन सी.एम.ओ अशोकनगर द्वारा जिनको की यह आवास आवंटित था, उनके द्वारा इस बंगले में कोई शासकीय हानि नही पहुंचाई गई एवं ना ही कोई भवन की सामग्री अपने साथ ले जायी गई। उनके द्वारा शासकीय सम्पत्ति को नुकसान नही पहुंचाया गया। अतः नुकसान के मूल्यांकन का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इस परिपेक्ष्य में भवन को तोडकर नया बनाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। तदानुसार इस हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नही है। क्योकि किसी के भी द्वारा शासकीय सम्पत्ति को नुकसान नही पहुंचाया गया है।

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

अनुभाग अधिकारी
म.
लोक

जांच प्रतिवेदन

प्रपत्र - ब

विषय :- सीएमओ को आबंटित बंगले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत् ।

संदर्भ :- कलेक्टर जिला अशोकनगर आदेश क्रमांक/स्टेनो/कले./2023/861 अशोकनगर दिनांक 05.05.10.2023

----------------X----------------

उपरोक्त सन्दर्भित आदेश के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार सीएमओ को आबंटित बंगले की जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

आज दिनांक 16.01.2024 को उक्त भवन का निरीक्षण किया गया अभिलेखानुसार भवन वर्ष 1962 का बना हुआ है। उक्त भवन की पीछे की बाउन्ड्रीबाल, किचिन, स्टोर पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। प्रथम दृष्टया देखने में भवन का लगभग 50% भाग क्षतिग्रस्त है, उक्त भवन के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियां, फर्श क्रेक हो गई हैं। उक्त भवन में बांयी तरफ का फ्लश डोर के स्क्रू ढीले होने से निकल गये है। उक्त भवन की भूमि का सेटलमेंट होने से फर्श बैठ गया है। बांयी तरफ के कमरे का फर्श भी खराब हो गया है। इसके बाद उक्त कमरे से लगा हुआ एक और कमरा है जिसमें प्रतीत होता है कि इनके द्वारा अस्थायी किचन बनाया था और बाद में प्लेटफॉर्म हटा दिया गया है अभी तक मलबा बिखरा बाकि इस कमरे स्विच बोर्ड लगे हुये हैं। इसी तरह हॉल में फर्श का सेटलमेंट होने से टाईल्स ऊंची - नीची हो गई हैं। बेडरूम में कुछ जगह स्विच बोर्ड लगे हुये है एवं कई जगह के स्विच एवं प्लेट गायब, बिजली के तार निकले हैं। खिड़कियां यथा स्थिति में हैं। इससे लगा एक स्टोर रूम जैसा कमरा है जो यथा स्थिति में है ऐसा लगता है जिसका कई वर्षो से उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि इसमें पत्थर की छत पर सीपेज होने के कारण कई जगह क्रेक्स भी देखे गये हैं। किचिन का उपयोग काफी समय से नहीं किया गया हैं। इसके भी टाईल्स उखड़े हुये हैं। पत्थर की बनी हुई छत है जिसमें सीपेज होने के कारण क्रेक आ गये हैं जो कभी गिर सकता है। इसमें स्विच बोर्ड लगे हुये हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर प्रतीत होता है कि ओपन बरामदे का काफी समय से उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि इसका फर्श पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। पत्थर की छत होने से सीपेज के कारण चूने का प्लास्टर कई जगह गिरा हुआ है। इसकी पत्थर की स्लैब है जिसमें ज्वाईंट में क्रैक दिख रहे हैं। बरामदे लगा हुआ एक और रूम है जिसके वायरिंग की प्लेट स्विच किसी ने निकाले हुये हैं। पूरे भवन में कहीं भी पंखे नहीं लगे हैं। बाकी फर्श पूरा बैठा हुआ है। बाथरूम में फिटिंग के नल लगे हुये हैं जो यथा स्थिति में हैं, एक टोंटी नहीं लगी हुई है। इस प्रकार यह पूरा भवन भूमि का सेटलमेंट होने से क्षतिग्रस्त है, जो मानवीय उपयोग के लिये उचित नहीं है।

निष्कर्ष :- यह भवन 60 वर्ष से अधिक पुराना है जो स्टोन मेसोनरी की दीवालें चूना रेत का प्लास्टर एवं छत पत्थर की है जिसमें ऊपर लाईम कोबा है जो कई जगह सीपेज से क्षतिग्रस्त हो गई है। फर्श मे सेटलमेंट हो गया है, पीछे एवं साईड की बाउन्ड्रीबाल गिर गई है। अतः भवन का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है।

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग अशोकनगर	16/1/24 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग अशोकनगर

E:\Technical Section - Letter - GEN (Dc. ...) - 2022

D.K. 633

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग